भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3210
06 अगस्त, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अस्पतालों की जवाबदेही तय करना

3210. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार ने अस्पतालों के प्रबंधन और रोगी की देखभाल में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख): महामारी के दौरान अस्पतालों, प्राधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज की गई शिकायतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और ऐसी कितनी शिकायतों का समाधान किया गया है;

(ग): सरकार का उक्त शिकायतों के निवारण के संबंध में अन्य क्या नए उपाय किए जाने का विचार है;

(घ): क्या सरकार का उक्त शिकायतों के पंजीकरण और त्वरित विचारण के लिए कोई विशेष तंत्र बनाने का विचार है; और

(ड.): आवश्यक चिकित्सा सामग्री आपूर्तियों की कालाबाजरी की समस्या को रोकने और इसका समाधान करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है और इस संबंध में दर्ज मामलों और जब्त की गई सामग्री का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(क) से (घ): भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य में सुधार हासिल करने के लिए नैदानिक स्थापनाओं के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम, 2010) अधिनियमित किया है तथा उसके तहत नियमों को अधिसूचित किया है।

अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण कराएं बिना नैदानिक स्थापना संचालित नहीं कर सकता जहॉं उपर्युक्त अधिनियम लागू है। पंजीकरण की मंजूरी के लिए तथा उसे जारी रखने के लिए, प्रत्येक नैदानिक स्थापना से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों, कर्मिकों की न्यूनतम संख्या, रिकार्डों तथा रिपोर्टों के अनुरक्षण और उपलब्ध कराई गई प्रत्येक प्रकार की सेवा की दरों एवं उपलब्ध सुविधाओं का स्थान विशेष पर प्रदर्शन जैसी शर्तों को पूरा करे। इसके अलावा, प्रत्येक नैदानिक स्थापना से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह नैदानिक स्थापना में आने वाले अथवा

लाए गए व्यक्ति की आपातकालीन चिकित्सा अवस्था को स्थिर करने के लिए ''उपलब्ध स्टॉफ एवं सुविधाओं की सीमा में'' उपचार उपलब्ध कराए। नैदानिक स्थापनाओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए उपचार संबंधी मानक दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।

अधिनियम में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में एक जिला पंजीकरण प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है जहां यह अधिनियम लागू है। नैदानिक स्थापना द्वारा पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन नहीं करने के मामले में, उक्त प्राधिकारी को पंजीकरण, को निरस्त करने एवं अर्थदंड लगाने, जो भी समुचित हो, सहित उसके विरूद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है।

इस प्रकार सीई अधिनियम, 2010 किसी भी शिकायत का प्रभावी तरीके से निपटान करने तथा अनैतिक चिकित्सा परिपाटियों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त अधिकार उपलब्ध कराता है।

अब तक सीई अधिनियम, 2010-11 राज्यों नामत: सिक्किम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बहार, झारखंड, राजस्थान, असम में और हरियाणा तथा दिल्ली एवं लद्दाख को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण सीई अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के कार्यान्वयन सहित अस्पताल प्रबंधन तथा मरीज परिचर्या में जबावदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु तंत्रों को लागू करने की जिम्मेदारी उस संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है जहां कहीं यह अधिनियम लागू है।

(ड.): कोविड-19 प्रबंधन औषधियों की कालाबाजारी/जमाखोरी/अधिक प्रभार वसूलने की रिपोर्टों के बीच भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) के कार्यालय द्वारा अनेक एडवाइजरियों के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों से यह अनुरोध किया गया है कि वे विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखकर और मॉनीटरिंग एवं जांच के विशेष अभियान चलाकर अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए अपने प्रवर्तन स्टॉफ को निर्देश जारी करें।

विभिन्न राज्य औषधि नियंत्रकों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, कोविड प्रबंधन औषधियों की कालाबाजारी/जमाखोरी/अधिक प्रभार वसूल किए जाने के मामलों में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रकों द्वारा औषधि जब्त करने, अभियुक्तों की गिरफ्तारी/एफआईआर दर्ज कराने इत्यादि जैसी विभिन्न प्रवर्तन कार्रवाईयां की गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन कार्रवाइ के भाग के रूप में औषधियों की जब्ती एवं रेमडेसिवियर, फैविपिविर, मेडिकल ऑक्सीजन, सैनिटाइजरों, मास्कों ऑक्सीमीटरों, थर्मामीटरों इत्यादि की जब्ती की कुल 159 कार्रवाई की गई हैं।

*****